जिला आपदा प्रबंधन योजना

परिचयात्मक अनुच्छेद (इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खंड 31 के अनुसार, देश में प्रत्येक जिले का आपदा प्रबंधन (डीडीएमए) जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) तैयार करेगा जिसे राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमए) द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इस योजना की समीक्षा तथा अपडेट के काम को प्रति वर्ष किया जाना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम साथ ही यह प्रावधान करता है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ, आपदा के विभिन्न प्रकारों से असुरक्षित जिले के इलाके, आपदा की रोकथाम, प्रशमन, क्षमता–निर्माण तथा उससे निपटने की तैयारी के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल होंगे। जिला आपदा प्रबंधन योजना में किसी आपदा के घटने की स्थिति में मोचन योजनाएं तथा प्रक्रियाएं भी शामिल होंगी जिसमें जिला स्तर पर सरकार के विभागों तथा जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उत्तरदायित्व का आबंटन; आपदा के प्रति शीघ्र मोचन तथा उससे संबंधित राहत; अनिवार्य संसाधनों की अधिप्राप्ति; संचार लिंकों की स्थापना; तथा आपदा स्थिति की किसी चेतावनी या आपदा के प्रति मोचन हेतु जनता के लिए सूचना का प्रसार करने के भी प्रावधान होंगे।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिदेशित प्रावधान के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए एकसमान रूपरेखा को समर्थ बनाने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 'जिला आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी' के साथ–साथ 'जिला आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए आदर्श रूपरेखा (मॉडल फ्रेमवर्क)' भी बनाई है। यह आशा की जाती है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसको जिला आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने, समीक्षा तथा वार्षिक अपडेट कार्य के लिए उपयोगी पाएंगे।

3. रूपरेखा पर सुझावों, यदि कोई हों, को ई-मेल आईडी policyplan@ndma.gov.in पर भेजा जा सकता है।